

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 19 अप्रैल 2016 को आयोजित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 19.04.2016 को माननीय विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में नगर विकास एवं आवास विभाग के सभाकक्ष में जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री शीर्षत कपिल अशोक, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, बुडको के प्रतिनिधि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. खगौल जलापूर्ति योजना :-

बैठक में परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि खगौल जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका हस्तांतरण नगर परिषद को कर दिया गया है, जिसका रखरखाव नगर परिषद द्वारा किया जाएगा।

निर्देश दिया गया कि खगौल जलापूर्ति योजना की संचिका, सभी तथ्यों को अंकित करते हुए, 03 दिनों के अंदर प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु उपस्थापित की जाय।

3. फुलवारी शरीफ जलापूर्ति योजना :-

परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि फुलवारी शरीफ में जलापूर्ति के लिए स्वीकृत कुल 06 टॉवरों में से 05 टॉवर का निर्माण हो गया है, जो कार्यरत है। शेष 01 टॉवर का निर्माण, जमीन की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो पाया है। इनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि शेष कार्य को जून माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

निर्देश दिया गया कि इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन (फोटोग्राफ सहित) एक सप्ताह के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- प्रबंध निदेशक, बुडको)

4. बोधगया जलापूर्ति परियोजना :-

बोधगया जलापूर्ति परियोजना के संबंध में बुडको के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुल 04 जोन में विभक्त परियोजना में से 03 जोन का कार्य पूर्ण हो गया है, जो कार्यरत है। शेष 01 जोन में जलापूर्ति हेतु पाईप बिछाने का कार्य चल रहा

है। इनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि जून माह तक बोधगया जलापूर्ति के शेष कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा।

5. प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि अगले 15 दिनों के अंदर JnNURM अंतर्गत स्वीकृत सभी जलापूर्ति योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें बुडको, बिहार राज्य जल पर्षद, नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंधित पदाधिकारी रहेंगे।
6. **दानापुर जलापूर्ति परियोजना :-**

परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि दानापुर जलापूर्ति परियोजना का कार्य 09 जोन में विभक्त करके कार्यान्वित हो रहा था, जिसमें 03 जोन में ही जलमीनार का निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया है, जिससे जलापूर्ति हो रही है। शेष में जमीन की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। इस परियोजना के संवेदक का एकरारनाम वर्ष 2014 में रद्द कर दिया गया है एवं इसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है।

निर्देश दिया गया कि शेष जलमीनार के निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाय।

इस संबंध में यह भी निर्देश दिया गया कि इस हेतु प्रधान सचिव के स्तर पर दानापुर नगर परिषद में बैठक आयोजित की जाय, जिसमें बुडको के प्रतिनिधि, दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी/सभापति एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में संबंधित को पत्र निर्गत किया जाय।

(अनुपालन :- श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक)

7. **पटना जलापूर्ति परियोजना :-**

बैठक में जानकारी दी गयी कि पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में एक-एक जलमीनार के निर्माण हेतु संवेदक "गैमन इंडिया लि०" के साथ एकरारनामा किया गया था, जिसे कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक का कांट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है।

निर्देश दिया गया कि पटना जलापूर्ति परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख संचिका में शीघ्र उपस्थापित की जाय।

यह भी निर्देश दिया गया कि इस माह के अंत में पटना जलापूर्ति परियोजना, मुजफ्फरपुर जलापूर्ति परियोजना एवं गया जलापूर्ति परियोजना के संबंध में प्रधान सचिव के स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाय, जिसमें संबंधित नगर आयुक्त, प्रबंध निदेशक, बुडको एवं सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी रहेंगे।

(अनुपालन :- श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक)

बुडको के प्रतिनिधि द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत बुडको द्वारा अलग से 03 योजनाएं यथा लोहानीपुर, खांजेकलाँ एवं पीर मुहानी में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें पीर मुहानी में जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण निविदा रद्द कर दिया गया है। शेष दोनों योजनाओं में कार्य पूर्ण हो गया है एवं जलापूर्ति की जा रही है। निर्देश दिया गया कि पीर मुहानी में जमीन की उपलब्धता हेतु शीघ्र अग्रोत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

निर्देश दिया गया कि खांजेकला जलापूर्ति के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- प्रबंध निदेशक, बुडको)

8. बिहार राज्य जल पर्षद :-

समीक्षा के क्रम में प्रबंध निदेशक द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही जलापूर्ति योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गयी। इनके द्वारा बताया गया कि कुल 75 जलमीनार के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 12 जलमीनार का निर्माण कर लिया गया है एवं अधिकांश टॉवर का निर्माण कार्य जून माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। शेष जलमीनार का निर्माण निर्धारित समयसीमा के अन्दर कर लिया जाएगा।

निर्देश दिया गया सभी योजनाओं को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. AMRUT योजना :-

समीक्षा के क्रम में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि AMRUT अंतर्गत स्वीकृत 09 शहरों की जलापूर्ति योजना की निविदा 15 मई तक कर दी जाएगी।

AMRUT अंतर्गत 05 अन्य शहरों की जलापूर्ति योजना की स्वीकृति हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन :- श्री नीरज सक्सेना, कार्यपालक अभियंता)

10. झंझारपुर जलापूर्ति योजना :-

झंझारपुर जलापूर्ति योजना की स्वीकृति वर्ष 2012 में की गयी है, परन्तु यह योजना अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी है।

निर्णय लिया गया कि बार-बार कार्य को पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया गया एवं चेतावनी दी गयी, लेकिन इसके उपरांत भी कार्य नहीं किया गया है। अतः संवेदक

का एकरारनामा रद्द करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय और नये सिरे से निविदा आमंत्रित की जाय।

11. ए०डी०बी० वित्त पोषित जलापूर्ति परियोजना :-

निर्देश दिया गया कि गया एवं भागलपुर में ए०डी०बी० द्वारा वित्त पोषित जलापूर्ति परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए पूर्णकालिक रूप से दोनों नगर निकायों में कार्यपालक अभियंता की प्रतिनियुक्ति करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।

निर्देश दिया गया कि भागलपुर एवं गया जलापूर्ति परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की राशि की विवरणी प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु उपस्थापित की जाय एवं एजेंसी के साथ प्रधान सचिव के स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित करायी जाय।
(अनुपालन :- प्रबंध निदेशक, बुडको)

12. PHED द्वारा कार्यान्वित जलापूर्ति परियोजना :-


मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बैठक में उपस्थित हुए। इनके द्वारा बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत सभी जलापूर्ति योजनाओं का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्ण कर दिया गया है, एवं सभी कार्यरत है।

मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से अपेक्षा की गयी कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत जलापूर्ति परियोजनाओं की पूर्ण/अपूर्ण नगर निकायवार अद्यतन विवरणी 03 दिनों के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

बैठक के अंत में माननीय मंत्री द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि सभी जलापूर्ति योजनाओं का ससमय तत्परतापूर्वक कार्य पूर्ण करके, धरातल पर परिलक्षित किया जाय, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में "हर घर जल नल" शामिल है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रतिदिन के आधार पर कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि शत-प्रतिशत कार्य सुनिश्चित हो सके।

माननीय मंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि समय-समय पर जलापूर्ति योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाय एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।



(चैतन्य प्रसाद),


प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना

ज्ञापांक-2831.....न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 29/4/16


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/श्री राठौर, कंसल्टेंट, ए०डी०बी० सेल, बुडको, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/4/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-2831.....न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 29/4/16

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी/संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


29/4/2016

प्रधान सचिव